न्यायालय–सत्र न्यायाधीश, भदोही।
अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–590 सन् 2026

CNR No.UPSN01–001854–2026

बाबूलाल बालिग पुत्र स्व० रामजीत, निवासी भगवानपुर कन्हेरी, थाना औराई, जिला भदोही।
.....प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य .....अभियोजन पक्ष।

अपराध संख्या–58 सन् 2008
धारा–392, 323, 504, 506 भा०दं०सं०
थाना–औराई, जनपद–भदोही।

आदेश

1. प्रार्थी/अभियुक्त–बाबूलाल की ओर से प्रार्थनापत्र मुकदमा अपराध संख्या–58 सन् 2008, धारा–392, 323, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता, थाना–औराई, जनपद–भदोही के मामले में अग्रिम जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. संक्षेप में, अभियोजन कथानक है कि अभियोगी राधेश्याम चौहान ने दिनांक 14.03.2008 को समय 10.50 बजे थाना औराई पर जुबानी सूचना इस आशय की प्रस्तुत किया कि वह व उसका भाई घर पर थे। विपक्षीगण उनसे ईर्ष्या करते हैं। उसका भाई सिवान गया था । वापस आते समय विपक्षी भाईराम यादव, पन्नालाल, धर्मराज निवासीगण भगवानपुर, समय करीब आठ बजे प्राईमरी पाठशाल भगवानपुर के बगल में स्थित पक्की सड़क पर गाली–गलौज देते हुए गोजी से मारने लगे, उसके भाई के चिल्लाने पर वह पहुंचा तो उसे भी गाली गलौज देते हुए मारने लगे। गवाह व गॉव के लोग दौड़कर बीच बचाव किये तब विपक्षीगण जान से मारने की धमकी देते हुए घर चले गये। मारने से उसे व उसके भाई हीरामणि को चोटें आयी हैं। उक्त सूचना पर अभियुक्तगण भाईराम यादव, पन्नालाल, धर्मराज को नामित करते हुए धारा–323, 504 एवं 506 भारतीय दण्ड संहिता के अधीन मुकदमा पंजीकृत हुआ । अभियोजन कथानक यह भी है कि दिनांक–14.05.2008 को हीरामणि चौहान द्वारा न्यायालय में प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन प्रस्तुत करने पर न्यायालय के आदेशनुसार मामले में विवेचनोंपरान्त अभियुक्तगण– भाईराम यादव, पन्नालाल, धर्मराज के विरूद्ध धारा– 323, 504 एवं 506 भारतीय दण्ड संहिता के अधीन आरोपपत्र दाखिल हुआ। तदनुसार ही आरोपपत्र में नामित अभियुक्तगण भाईराम यादव, पन्नालाल, धर्मराज के विरूद्ध आरोप विरचन के पश्चात दौरान विचारण अभियोजन साक्षी संख्या– 1 हीरामणि एवं अभियोजन साक्षी संख्या–2 रमेश चन्द्र चौहान का बयान लेखबद्ध होने के पश्चात हीरामणि चौहान की ओर से न्यायालय में प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–319 दण्ड प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत किया गया, जिसे न्यायालय द्वारा स्वीकार करते हुए अभियुक्तगण बंशराज यादव व बाबूलाल यादव को धारा –323, 504, 392 एवं 506

भारतीय दण्ड संहिता में तलब कर उनके विरूद्ध समन एवं ततपश्चात गैर जमानतीय वारण्ट जारी किया गया ।

3. मैंने प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी तथा वादी के निजी अधिवक्ता के तर्कों को सुना तथा प्रपत्रों का अवलोकन किया।

4. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से आधार अग्रिम जमानत व उसके विद्वान अधिवक्ता द्वारा दौरान बहस तर्क में कहा गया है कि प्रार्थी निर्दोष हैं। पुरानी रंजिशवश झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त ने वादी मुकदमा एवं उसके भाई को न मारा पीटा, न गाली गुप्ता दिया, न धमकी दिया और न ही वादी की जेब से ग्यारह सौ रूपये निकाला। अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षीगण के बयान में कथित छिनैती में प्रार्थी/अभियुक्त की कोई भूमिका नहीं बतायी गयी है। प्रार्थी रोजगार के सिलसिले में मुम्बई शहर में रहता है। बरवक्त कथित घटना मौके पर मौजूद नहीं था । प्रार्थी/अभियुक्त को पुलिस गिरफ्तार करना चाहती है। प्रार्थी/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अतः अग्रिम जमानत पर रिहा किए जाने की याचना की गयी है।

5. अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं निजी अधिवक्ता द्वारा अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए कहा गया कि जब हीरामणि चौहान मजदूरी का बकाया पैसा मॉग वापस आ रहा था तो कथित दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर गाली–गलौज करते हुए मारपीट किया, उसके जेब से ग्यारह सौ रूपये निकाल लिया एवं जानमाल की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। दौरान परीक्षण वाद अभियोजन साक्षियों के बयान में अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र खारिज किये जाने का आग्रह किया गया।

6. अभियुक्त के विरूद्ध आरोप है कि दिनांक 14.03.2008 को समय 8.00 बजे दिन जब वादी पक्ष के हीरामणि चौहान मजदूरी का बकाया पैसा मॉगकर/लेकर घर वापस घर आ रहा था तो प्राईमरी पाठशाला भगवानपुर के बगल में स्थित पक्की सड़क पर अभियुक्त द्वारा अन्य सहअभियुक्तगण के साथ हीरामणि चौहान को गाली गलौज कर जानमाल की धमकी देते हुए उसके साथ मारपीट की गयी तथा उसकी जेब से ग्यारह सौ रूपये छीन लिया गया।

7. पत्रावली एवं प्रपत्रों के अवलोकन से दर्शित होता है कि अभियुक्त का नाम वादी पक्ष के हीरामणि चौहान द्वारा न्यायालय में प्रार्थनपत्र अन्तर्गत धारा–319 दण्ड प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत करने पर अभियोजन साक्षी संख्या– 1 हीरामणि एवं अभियोजन साक्षी संख्या–2 रमेश चन्द्र चौहान का बयान लेखबद्ध होने के पश्चात मामले के सम्पूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों आदि के

दृष्टिगत विद्वान मजिस्ट्रेट/विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त को अन्तर्गत धारा–323, 504, 506 एवं 392 भारतीय दण्ड संहिता के अधीन विचारण हेतु दिनांक–18.11.2023 को तलब करते हुए समन जारी किया गया तथा समन जारी होने के पश्चात अभियुक्त/आवेदक के विरूद्ध दिनांक–11.09.2025 को गैर जमानतीय वारण्ट जारी होना दर्शित है। प्रस्तुत मामले में चिकित्सीय आख्या भी पत्रावली पर संलग्न है तथा मामला छिनैती/लूट से संबंधित है। अभियुक्त/आवेदक के विरूद्ध लम्बे अंतराल से गैर जमानतीय अधिपत्र जारी है, इस प्रकार फरारी की हालत में प्रार्थनापत्र अग्रिम जमानत प्रस्तुत किया जाना दर्शित है। अग्रिम जमानत का आधार उचित प्रतीत नहीं होता है। अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

8. तदनुसार प्रार्थी/अभियुक्त बाबूलाल की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र खारिज किया जाता है।

दिनांक –12.06.2026

(अखिलेश दूबे)
सत्र न्यायाधीश
भदोही
JO Code NO.–UP 5725

Digitally signed by AKHILESH DUBEY
Date: 2026.06.12 13:37:53 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court